भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-190

सोमवार, 18 नवम्बर, 2019/27 कार्तिक, 1941 (शक)

सामाजिक सुरक्षा

190. डॉ॰ सुभाष रामराव भामरेः
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः
डॉ॰ अमोल रामसिंह कोल्हेः
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः
श्री कुलदीप राय शर्माः
श्री ए॰ के॰ पी॰ चिनराजः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में अधिक बेरोजगारी वाले क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने भारत के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों, अजा/अजजा/अपिव/दिव्यांग/महिलाओं के मध्य बेरोजगारों की संख्या का मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ऐसे शिक्षित बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने हेतु कोई नीति बनाने पर विचार कर रही है और बेरोजगारी उन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु क्या प्रावधान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार द्वारा ऐसे बेरोजगार लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई है/प्रदान किए जाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत वर्ष तथा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान किया गया है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा रोजगार एवं बेरोजगारी पर पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षण आयोजित किए गए थे। ऐसा पिछला सर्वेक्षण 2011-12 के दौरान आयोजित किया गया था। अब, एनएसएसओ वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) करने लगा है, जो 2017-18 के दौरान आयोजित किया गया था। देश में

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों हेतु सभी आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर नीचे दी गई हैः

बेरोजगारी दर (% में)					
क्षेत्र	लिंग	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सभी
ग्रामीण	*पुरूष*	4.9	6.4	5.7	5.8
	महिला	2.2	3.2	3.8	3.8
	व्यक्ति	4.0	5.6	5.3	5.3
शहरी	*पुरूष*	7.0	8.2	6.9	7.1
	महिला	7.6	10.5	10.9	10.8
	व्यक्ति	7.1	8.8	7.8	7.8
ग्रामीण + शहरी	*पुरूष*	5.1	6.8	6.1	6.2
	महिला	2.6	4.9	5.7	5.7
	व्यक्ति	4.3	6.3	6.0	6.1

दिव्यांग बेरोजगारों के लिए अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। हालाँकि, राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त सूचना के अनुसार, देश में 2016 के दौरान रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर पंजीकृत रोजगार चाहने वाले दिव्यांग, जिनमें यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, उपलब्ध सीमा तक 6.85 (अनंतिम) लाख थे।

(घ) से (च): भारत सरकार बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान नहीं कर रही है। इसके अलावा, कौशल भारत मिशन के तहत, कौशल विकास और उद्यमशिलता मंत्रालय (एमएसडीई) दीर्घकालिक और अल्पकालिक प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को रोजगारपरक कौशल प्रदान करता है। मंत्रालय राष्ट्र के युवाओं को रोजगारपरक कौशल प्रदान करने के लिए अपनी फ्लैगशिप योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का कार्यान्वयन कर रहा है। युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करने तथा नियोजन की सुविधा प्रदान करने के लिए मंत्रालय/विभाग/राज्य विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास योजनाएं भी चलाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्द्धन योजना (एनएपीएस) जैसी योजनाएं, जिनमें सरकार शिक्षुओं को देय वृत्तिका के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करती है, भी रोजगार तक पहुंच हेतु युवाओं की नियोजनीयता को बढ़ाती हैं।

सरकार ने एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सृजित करने की दिशा में बीमा और पेंशन क्षेत्रों से संबंधित तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शुरू की हैं, नामतः प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) ये योजनाएं सभी नागरिकों को बैंक खातों से ऑटो-डेबिट सुविधा से जुड़े सुविधाजनक तरीके से आवश्यक और सस्ती सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती हैं और सभी पर लागू होती हैं। 01-10-2019 को, बैंकों द्वारा पात्रता मापदंड के सत्यापन के तहत नामांकन की कुल संख्या, पीएमएसबीवाई में 16.56 करोड़ और पीएमजेजेबीवाई में 6.29 करोड़ है। जहां तक एपीवाई का संबंध है, इस योजना के तहत 30-09-2019 को कुल 1.86 करोड़ व्यक्तियों ने नामांकन किया है।

*****